न्यायाधीश *अजय तिवारी और जसगुरप्रीत सिंह पुरी* ***के समक्ष***

गौरव कुमार- *याचिकाकर्ता*

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य-प्रतिवादी

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474

23 जुलाई 2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट याचिका-ई-निविदा-निरस्तीकरण का निरसन-क्या वैध है-संविदा देना-संविदाकारी पक्ष और उसके प्रतिनिधि की शक्तियां-तथ्यों के आधार पर, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा-बोलियों की तकनीकी जांच की गई थी-केवल कुछ ही तकनीकी रूप से योग्य पाए गए थे-योग्य निविदाओं की वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए आगे बढ़ने के बजाय, निविदा जांच को ही कम भागीदारी के आधार पर रद्द कर दिया गया था - नए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं - याचिकाकर्ताओं ने भाग लिया - एक याचिकाकर्ता/गौरव ने कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर कानूनी नोटिस दिया - मुख्यालय द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया जिसने निविदा जांच को रद्द करने के निर्णय को रद्द कर दिया और प्रारंभिक निविदा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया - एक इकाई के रूप में भारतीय खाद्य निगम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। एक सांविधिक निकाय स्वयं संविदाकारी पक्ष है - इसने संविदात्मक मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं - प्रत्यायोजन प्राधिकारी हमेशा प्रतिनिधि द्वारा की गई गलती को सुधार सकता है - मुख्यालय द्वारा निर्णय लेना किसी प्रकार की अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा, बल्कि केवल भारतीय खाद्य निगम में निहित प्राधिकार का प्रयोग होगा - आगे निर्णय दिया गया, याचिकाकर्ता की शिकायत पहले ही स्वीकार कर ली गई है क्योंकि उसकी वित्तीय बोली खोली जा चुकी है, लेकिन उसे काम के आवंटन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है - वित्तीय व्यवहार्यता और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन करना और काम आवंटित करना नियोक्ता के लिए है - एल-1 बोलीदाता होने से अनुबंध से सम्मानित होने का कोई अधिकार नहीं है - याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह माना गया कि एफसीआई ने स्पष्ट रुख अपनाया कि निविदा को रद्द करने में क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा द्वारा पारित आदेश पर एफसीआई, मुख्यालय द्वारा हमेशा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार किया जा सकता है कि एफसीआई एक इकाई और एक वैधानिक निकाय के रूप में स्वयं अनुबंध पक्ष है और क्षेत्रीय कार्यालय को संविदात्मक मामलों में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं। इसलिए, एक प्रतिनिधि प्राधिकारी हमेशा एक गलती को सुधार सकता है यदि कोई प्रतिनिधि द्वारा प्रतिबद्ध हो। हमारी सुविचारित राय में, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा निर्णय लेना किसी प्रकार की अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा बल्कि यह केवल भारतीय खाद्य निगम में निहित प्राधिकार का प्रयोग होगा। भंडारण नियमावली, जिसे ऊपर पुन प्रस्तुत किया गया है, के अवलोकन से पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम अपनी शक्तियां अन्य अधिकारियों को सौंपता है। ई-

निविदा नोटिस की प्रारंभिक पंक्तियों के अवलोकन से भी पता चलता है कि निविदा महाप्रबंधक द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए और उसकी ओर से आमंत्रित की गई है, जिसका अर्थ है कि भारतीय खाद्य निगम ने एक सांविधिक निकाय के रूप में और स्वयं एक इकाई के रूप में महाप्रबंधक के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की हैं जो संविदा पर हस्ताक्षर करने और प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न अन्य प्रक्रियाएं करने के लिए सक्षम हैं। तत्पश्चात्, यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय को पंचकुला स्थित भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई किसी भी त्रुटि को सुधारने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

(पैरा 17)

वी.के. जिंदल, सीनियर एडवोकेट के साथ अक्षय जिंदल, एडवोकेट।

अक्षय भान, याचिकाकर्ता (ओं) के वकील आलोक मित्तल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता।

गौरव चोपड़ा, एडवोकेट और अनुराग चोपड़ा, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता* (CWP-7474-2020) और प्रतिवादी/कैविएटर (CWP-7454-2020) के लिए।

चेतन मित्तल, सीनियर एडवोकेट सुमीत गोयल के साथ, एडवोकेट और
एस.के. साहोरे, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए - एफसीआई।

जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे. (मौखिक)

(एक) यह निर्णय 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7442, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7454, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7455, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7456 और 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 वाली पांच रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा।

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 में प्रार्थना परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए है, जिसमें उत्तरदाताओं भारतीय खाद्य निगम (इसके बाद 'एफसीआई' के रूप में संदर्भित) को 08.05.2020 (अनुलग्नक पी-6) और 12.05.2020 (अनुलग्नक पी-7) के पत्रों को लागू करने और 28.03.2020 (अनुलग्नक पी-1) की प्रारंभिक निविदा जांच के अनुसरण में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद की ई-निविदा सूचना/निविदा जांच दिनांक 23.04.2020 (अनुलग्नक पी-4) को रद्द करने के लिए एक और प्रार्थना की गई है, जिसमें प्रतिवादी एफसीआई को याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुबंध का काम आवंटित करने का निर्देश दिया गया है।

(दो) हालांकि, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7442, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7454, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7455, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7456 वाली शेष चार रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रार्थना की गई है जो 2020 के उपरोक्त सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 के बिल्कुल विपरीत है। सुविधा के लिए, 2020 के CWP No.7442 से तथ्य लिए गए हैं। इन चार रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 12.05.2020 (अनुलग्नक (पी-11) के संचार को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करने की मांग की है, जिसके तहत निविदा दिनांक 28.03.2020 (अनुलग्नक पी-1) को रद्द कर दिया गया था और आगे की प्रार्थना के साथ निविदा जांच दिनांक 3.04.2020 (अनुलग्नक पी-8) खोलने के लिए आगे बढ़ने की मांग की गई थी।

(तीन) इन रिट याचिकाओं के तथ्यों का सारांश निम्नानुसार है: -

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474

(चार) 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 में, भारतीय खाद्य निगम, जो खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो पूरे भारत के क्षेत्र में खाद्यान्न के संचालनात्मक और बफर स्टॉक के वितरण, खरीद और संतोषजनक स्तर को बनाए रखने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैडलिंग और परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है (इसके बाद, 'एचटीसी' के रूप में संदर्भित)। निविदा पूछताछ दिनांक 28.03.2020 (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार, ऑन-लाइन निविदाएं आमंत्रित करने की प्रणाली दो साल की अवधि के लिए ठेकेदार की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर दो बोली प्रणाली पर आधारित है। पहली बोली तकनीकी बोली से संबंधित है और दूसरी बोली वित्तीय बोली से संबंधित है। उपर्युक्त ई-निविदा दो जिलों नामत भारतीय खाद्य निगम जिला रोहतक और भारतीय खाद्य निगम जिला हिसार से संबंधित है। तथापि, वर्तमान याचिका की विषय वस्तु केवल भारतीय खाद्य निगम जिला रोहतक से संबंधित है जहां से तीन स्थानों नामत अलेवा नेगुरा, पिल्लूखेड़ा और जुलाना के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। याचिकाकर्ता और संबंधित रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं सहित विभिन्न ठेकेदारों से बोलियां प्राप्त होने पर, भारतीय खाद्य निगम ने तकनीकी रूप से बोलियों की जांच की और कई बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से अयोग्य / अयोग्य पाया गया। एचटीसी पिल्लुखेड़ा में, नौ में से एक निविदाकर्ता तकनीकी रूप से योग्य पाया गया, एचटीसी जुलाना में, सात में से दो निविदाकर्ता योग्य पाए गए और एचटीसी अलेवा नेगुरा केंद्र में आठ में से दो निविदाकर्ता तकनीकी रूप से योग्य पाए गए। तथापि, योग्य निविदाओं की वित्तीय बोलियां खोलने के लिए आगे कार्रवाई करने के बजाय महाप्रबंधक/हरियाणा भारतीय खाद्य निगम ने निविदादाताओं की कम भागीदारी के आधार पर निविदा जांच को रद्द कर दिया। अधिक संख्या में बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराए जाने के कारण निगम को वित्तीय हानि होगी और इसलिए उन्होंने निविदा जांच को रद्द करना उचित समझा। इस तरह उपरोक्त केंद्रों से संबंधित दिनांक 28.03.2020 की निविदा पूछताछ को रद्द कर दिया गया। इसके बाद, निविदा पूछताछ दिनांक 23.04.2020 (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से नई निविदाएं आमंत्रित की गईं।

(पाँच) याचिकाकर्ता गौरव कुमार उपरोक्त केंद्रों के लिए तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में से एक थे और निविदा को रद्द करने में एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय की उपरोक्त कार्रवाई से असंतुष्ट होने के कारण, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, कार्यकारी निदेशक (अनुबंध) भारतीय खाद्य निगम, को संबोधित 16.04.2020 (अनुलग्नक पी -5) को एक कानूनी नोटिस दिया गया। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला। उक्त कानूनी नोटिस की एफसीआई मुख्यालय द्वारा विस्तार से जांच की गई और अनुबंध पी-6 दिनांक 08.05.2020 के तहत मुख्यालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने और 28.03.2020 की प्रारंभिक निविदा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि आदेश में ही विभिन्न कारण दिए गए हैं जिन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "कृपया उद्धृत विषय पर उपरोक्त संचारकों को देखें। इस संबंध में मुख्यालय के विधिक प्रभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि निविदा को रद्द करने के लिए आरओ (एचआर) द्वारा दिया गया मुख्य औचित्य यह है कि ईपीएफ पंजीकरण की नई

शुरू की गई शर्त पर मई निविदाओं की अयोग्यता के कारण कम प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय खाद्य निगम को वित्तीय हानि हो सकती है। उपरोक्त औचित्य निम्नलिखित कारणों से तर्क के लिए अपील नहीं करता है: -

एक. बोलीदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे निविदा दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अनुपालन करें और बोली केवल तभी प्रस्तुत करें जब वे उसके सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करते हों। एमटीएफ के तहत निविदा प्रक्रिया इतनी सख्त है कि यह निविदादाताओं को निविदा प्रस्तुत करने के बाद कोई नया दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती है। ऐसी कड़ी शर्त का मूल उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि बोलीदाता निविदा प्रस्तुत करते समय यथोचित सावधानी बरतें और भारतीय खाद्य निगम का बहुमूल्य समय, धन और प्रयास पुन निविदा प्रक्रिया में व्यर्थ न जाए। कुछ बोलीदाताओं द्वारा दोषपूर्ण निविदा प्रस्तुत करने के आधार पर निविदा को रद्द करना उपर्युक्त आपत्ति और उद्देश्य के विपरीत होगा और अप्रत्यक्ष रूप से नैमित्तिक बोलीदाताओं को उन दोषों को दूर करने का अवसर प्रदान करेगा जिन्हें सामान्य निविदा प्रक्रिया के तहत दूर करने की अनुमति नहीं है। ईपीएफ पंजीकरण के संबंध में संशोधन मुख्यालय के पत्र दिनांक 05.02.2020 के माध्यम से किए गए/प्रसारित किए गए थे जो रद्द की गई निविदा से बहुत पहले है और इस प्रकार, इस तरह के संशोधन दोषपूर्ण निविदाओं को प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं ठहरा सकते हैं।

दो. टेनसर को समाप्त करने के समर्थन में उद्धृत वित्तीय हानि का आधार भी योग्यता से रहित है क्योंकि मूल्य बोली को खोले बिना और दरों की तुलना के बिना यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि रद्द की गई निविदाओं के तहत उद्धृत दरें पुन: निविदा के तहत प्राप्त दरों से अधिक थीं।

तीन. निविदा को समाप्त करना सतर्कता प्रभाग, मुख्यालय द्वारा दिनांक 10-10-2008 के पत्र सं 1/2009-10/2009-10 द्वारा जारी किए गए लिखतों में भी स्पष्ट किया जाना विरोधाभासी है। (ग) दिनांक 15-5-2009 के परिपत्र सं Vig.2(2)2007/Vol.1 के तहत एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि एकल निविदा स्वीकार करने में कोई रोक नहीं है और ऐसी निविदा को केवल एकल निविदा होने के आधार पर सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उपरोक्त कारण से निविदा को रद्द करने की कार्रवाई न केवल वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य से असंगत है, बल्कि कानूनी रूप से टिकाऊ भी नहीं है।

चार. एकल निविदा के आधार पर स्क्रैपिंग की कार्रवाई भी हरियाणा क्षेत्र द्वारा अपनाई गई प्रथा के साथ असंगत है क्योंकि कानूनी नोटिस स्पष्ट रूप से कई उदाहरणों को इंगित करता है जहां आरओ हरियाणा ने पिछले डेढ़ साल में काम दिया है जब केवल एक/दो बोलीदाता मैदान में रह गए थे। आरओ (एचआर) की टिप्पणियां कहीं भी उक्त आरोप से इनकार नहीं करती हैं।

पाँच. यह भी अजीब बात है कि बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निविदा को फिर से जारी किया गया था, लेकिन निविदा को फिर से शुरू करते समय 21 दिनों की निर्धारित अवधि के मुकाबले बोली प्रस्तुत करने के लिए 14 दिनों का समय

दिया गया था।

छः. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि डीओपी संविदात्मक मामलों के लिए जीएम (आर) के पास है, लेकिन इस तरह का निर्णय मनमाना नहीं हो सकता है और संगठन के हित में होना चाहिए और 24.03.2005 के सीवीसी दिशानिर्देशों को सुसंगत, विवेकपूर्ण और तार्किक होना चाहिए। मनमाने ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। वह फाइल पर निविदाओं की अस्वीकृति/वापस लेने की ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए स्पष्ट तार्किक कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है।

सात. अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांत यह है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया गया विवेक एक बेलगाम शक्ति नहीं है। इसका प्रयोग न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। संविदात्मक मामलों में, उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, जहां भी यह पाया जाता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण ने मनमाने तरीके से काम किया है। कई मामलों में कई मामलों में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कथित अनियमितताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध रिट याचिकाओं को स्वीकार किया है और कुछ मामलों में माननीय न्यायालय ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की व्यक्तिगत उपस्थिति/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रति शपथ-पत्र दायर करने का आदेश दिया है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि डीओपी के तहत पूर्ण शक्तियां प्राप्त अधिकारी कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से उचित निर्णय लें।

उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी ने री-फ्लोटिंग की तारीख को बढ़ाने का निर्देश दिया है जो 08.05.2020 को 7 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए खोला जाना निर्धारित है। इस बीच, 28.03.2020 की निविदा की मूल्य बोली खोली जा सकती है और अनुबंध देने पर निर्णय लिया जा सकता है जो अनुबंध देने के लिए क्षेत्र में सामान्य सिद्धांतों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

(छः)उपरोक्त आदेश दिनांक 08.05.2020 के पारित होने के बाद, दूसरी निविदा दिनांक 23.04.2020 की तिथि को बढ़ाया गया था और पहली निविदा दिनांक 28.03.2020 की वित्तीय बोली 18.05.2020 को खोली गई थी। इसके बाद, इस न्यायालय में संबंधित रिट याचिकाएं दायर की गईं और इस न्यायालय ने दिनांक 22.05.2020 के आदेश के तहत पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और उसके बाद, दिनांक 04.06.2020 के आदेशों के तहत यथास्थिति के आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, निविदा दिनांक 28.03.2020 जिसमें वित्तीय बोलियों को पहले से ही खुला रखा गया था, अंतरिम आदेशों के कारण एफसीआई द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7442, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7454, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7455, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7456

(सात) चूंकि 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7442, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7454,

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7455, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7456 वाली इन सभी चार रिट याचिकाओं में विषय वस्तु और प्रार्थना समान प्रकृति की है, इसलिए इन चार मामलों के तथ्यों का सारांश एक साथ लिया गया है। इन रिट याचिकाओं में जो स्पष्ट चुनौती दी गई है वह यह है कि पहले की निविदा को रद्द करने में भारतीय खाद्य निगम की कार्रवाई कानूनन गलत है। याचिकाकर्ताओं ने पहले ही 23.04.2020 की दूसरी निविदा में भाग लिया है और मूल्यांकन के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं। यह भी उचित है कि इन उपरोक्त चार रिट याचिकाओं में सभी याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 28.03.2020 की पहली निविदा में भाग लिया था, लेकिन तकनीकी मूल्यांकन के दौरान एफसीआई द्वारा उन्हें अयोग्य/अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि इन याचिकाकर्ताओं ने अपनी अयोग्यता को चुनौती नहीं दी, शायद इसलिए कि पहले की निविदाएं रद्द कर दी गई थीं, जिसे बाद में दिनांक 08.05.2020 के आदेश के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया था। इन याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि पहली निविदा को रद्द करने के बाद, उन्होंने दूसरी निविदा में भाग लिया है और इसलिए, उन्होंने दूसरी निविदा में विचार किए जाने का अधिकार अर्जित किया है जिसे एफसीआई द्वारा इसके तार्किक निष्कर्ष तक संसाधित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वे 28.03.2020 की पहली निविदा की बहाली से व्यथित हैं, जिसमें माना जाता है कि वे अयोग्य हो गए थे।

<u>विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए तर्क</u>

(आठ) 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री गौरव चोपड़ा ने तर्क दिया कि भले ही पहले की निविदा दिनांक 28.03.2020 को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि प्रतिस्पर्धा कम थी, लेकिन एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला की उक्त गलती को एफसीआई के मुख्यालय द्वारा अनुबंध पी-6 दिनांक 08.05.2020 के माध्यम से एफसीआई को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस के आधार पर ठीक कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि 28.03.2020 (अनुलग्नक पी -1) की पहली निविदा को अवैध रूप से रद्द कर दिया गया था, जो उसके कानूनी अधिकारों को पूर्वाग्रहित करता था क्योंकि इसे रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था। यदि उच्च अधिकारियों ने गलती को सुधार लिया तो 28.03.2020 (अनुलग्नक पी-1) की पहली निविदा जांच को कानून के अनुसार संसाधित करके तार्किक निष्कर्ष पर लाया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि अन्य चार संबंधित रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ता 28.03.2020 की निविदा जांच को जारी रखने के संबंध में कोई शिकायत नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उन्होंने निविदा जांच में भाग लिया था और तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, सबसे पहले, उन्होंने निविदा जांच में भाग लिया था और परिणामस्वरूप, उन्हें निविदा प्रक्रिया की निरंतरता को चुनौती देने से रोक दिया गया है और दूसरा, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उनकी अयोग्यता को चुनौती नहीं दी गई है, उनकी शिकायत अस्थिर है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के अनुबंधों में जनहित को प्रधानता दी जानी चाहिए, और इसलिए, मुख्यालय एफसीआई द्वारा पारित आदेश अनुबंध पी -6 को इसके पत्र और भावना में लागू किया जाना चाहिए/ विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 23.04.2020 की दूसरी जांच (अनुलग्नक पी-4) रद्द करने योग्य है। याचिकाकर्ता सभी तीन केंद्रों अर्थात् एचटीसी अलेवा नेगुरा, पिल्लुखेड़ा और जुलाना के संबंध में काम के आवंटन का हकदार है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता है और निविदा प्रक्रिया में एल-1 है। अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने

टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ**, *जगदीश मंडल*** [1] ***बनाम उड़ीसा राज्य*** *और अन्य, सेंट्रल कोलफील्ड्स* ***लिमिटेड और अन्य बनाम एसएलएल - एसएमएल (संयुक्त उद्यम कंसोर्टियम) और अन्य***[2]**, *मोंटेकार्लो* ***लिमिटेड*** [3]***बनाम अन्य बनाम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया हैनेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन***[4] ***लिमिटेड, नगर निगम, उज्जैन और अन्य*** *बनाम* ***बीवीजी इंडिया लिमिटेड और अन्य***[5]**, *बीएसएन जोशी एंड संस लिमिटेड।* *बनाम* ***नायर कोल सवसेज लि और अन्य और*** [6] इस न्यायालय ने 2019 ***की सीडब्ल्यूपी संख्या 6473 में सीगल गवार (जेवी) ए-898, टैगोर नगर, लुधियाना*** *बनाम* ***पंजाब राज्य और अन्य के रूप में 22.05.2019 को फैसला सुनाया।***

(नौ) विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वीके जिंदल, श्री अक्षय जिंदल के साथ सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट, श्री अक्षय भान, श्री आलोक मित्तल के साथ सीनियर एडवोकेट, अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं की ओर से 2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7442, 2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7454, 2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7455, 2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7456 में उपस्थिति दर्ज कराई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया है कि एफसीआई मुख्यालय की कार्रवाई, जिसके तहत निविदा को रद्द कर दिया गया है, कानून में टिकाऊ नहीं है क्योंकि एक बार अनुबंध में प्रवेश करने वाले प्राधिकारी ने निविदा को रद्द करने का निर्णय ले लिया है, तो उक्त स्क्रैपिंग को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया कि न तो किसी भी निविदा दस्तावेज को रद्द करने का कोई प्रावधान है और न ही निविदा को रद्द करने के निरसन को सही ठहराने के लिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की कोई शक्ति है। यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी एफसीआई की कार्रवाई याचिकाकर्ताओं के प्रति अन्यायपूर्ण होने के कारण स्पष्ट रूप से अवैध थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि जब नई निविदा पहले ही मंगाई जा चुकी है, तो पहले की निविदा को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को दूसरे निविदा में भाग लेने के क्षण में अधिकार निहित थे, और इसलिए, दूसरी निविदा को उसके तार्किक निष्कर्ष पर रखने की आवश्यकता है। विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि पहले की निविदा दिनांक 28.03.2020 (अनुलग्नक पी-1) को जनहित में रद्द कर दिया गया था क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम थी और चूंकि कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए निविदा को सार्वजनिक हित में किसी भी समय रद्द किया जा सकता था। आगे यह तर्क दिया गया कि एफसीआई मुख्यालय द्वारा 08.05.2020 को पारित आदेश को चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह केवल एक आंतरिक संचार था और इन चार याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6895, 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15397 और 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 18881 में दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है और प्रार्थना

---

[1] 2015 एआईआई एससीआर (ओसीसी)

[2] 2006 (14) स्केल 224

[3] 2016 (4) आरसीआर (सिविल) 919

[4] 2016 (15) एससीसी 272

[5] 2018 (5) एससीसी 462

[6] 2006 (11) एससीसी 548

की है कि उत्तरदाताओं को 23.04.2020 की दूसरी निविदा जांच खोलने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाए। विद्वान वकीलों ने आगे तर्क दिया है कि भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के पास क्षेत्रीय कार्यालय के निर्णय को संशोधित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि अनुबंध करने के लिए सक्षम प्राधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय है न कि मुख्यालय।

(दस) श्री चेतन मित्तल ने श्री सुमित गोयल, एडवोकेट और श्री एसके साहूरे, प्रतिवादी-एफसीआई के वकील के साथ वरिष्ठ वकील के साथ तर्क दिया है कि क्षेत्रीय कार्यालय एफसीआई, हरियाणा द्वारा दिनांक 28.03.2020 (अनुलग्नक पी-1) की निविदा जांच को रद्द करना कानून के अनुसार नहीं था और इसलिए, जब याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस के आधार पर मामले पर पुनर्विचार किया गया था, तत्कालीन मुख्यालय गौरव कुमार ने भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न परिपत्रों और अन्य सीवीसी दिशानिर्देशों के आधार पर एक विस्तृत और तर्कसंगत आदेश पारित किया। श्री मित्तल ने आगे कहा कि हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई गलती को मुख्यालय द्वारा ठीक कर लिया गया है और इसलिए, यह निर्देश दिया गया है कि दिनांक 28.03.2020 की प्रारंभिक निविदा जांच अपने तार्किक अंत तक आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि 28.03.2020 की निविदा जांच को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि चूंकि अधिक संख्या में बोलीदाता अयोग्य/अयोग्य हो गए थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा कम हो गई है और इससे एफसीआई को वित्तीय नुकसान हो सकता है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद मुख्यालय ने सजग निर्णय लिया कि दी गई किसी निविदा को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि केवल एक ही निविदा है क्योंकि निविदाओं को पुन आमंत्रित करना बेहतर सौदे की गारंटी नहीं दे सकता है और कभी-कभी यह प्रतिकूल उत्पादक भी साबित हो सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने एफसीआई मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.05.2020 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश में दिए गए कारणों की ओर इशारा किया है कि निविदा को रद्द करने के समर्थन में उद्धृत वित्तीय नुकसान का आधार किसी भी योग्यता से रहित है क्योंकि मूल्य बोली को खोले बिना और दरों की तुलना के बिना, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि रद्द की गई निविदाओं के तहत उद्धृत दरें किसी अन्य ई-निविदा के तहत प्राप्त दरों से अधिक थीं। उक्त आदेश में आगे यह शामिल किया गया है कि निविदा को रद्द करना सतर्कता प्रभाग मुख्यालय द्वारा दिनांक 15.05.2020 (अनुबंध पी-13) के पत्र द्वारा जारी किए गए स्पष्ट आदेशों के विपरीत है, जहां यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि एकल निविदा स्वीकार करने में कोई रोक नहीं है और इस तरह की निविदा को केवल एकल निविदा होने और अधिक संख्या में वैध निविदाएं प्राप्त करने के आधार पर सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए *आईपीएसओ वास्तव में* कम दरों की गारंटी नहीं देता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 24032005 के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है कि निविदा आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत किया जा सकता है लेकिन ऐसे खंड का अर्थ यह नहीं है कि निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी मनमाने ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया है कि संविदाकारी पक्ष भारतीय खाद्य निगम है और संविदात्मक मामलों में ठेकेदारों के साथ अनुबंध करने के लिए महाप्रबंधक (आर) के साथ शक्तियों का प्रत्यायोजन है।

(ग्यारह) श्री मित्तल ने शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क का उत्तर देते हुए प्रस्तुत किया है कि भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय द्वारा जारी संविदा *नियमावली के भंडारण के* अनुसार, भारतीय खाद्य निगम स्वयं एक इकाई होने के नाते संविदा करने का प्राधिकार है। तथापि, संविदा में प्रवेश करने के प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं। उन्होंने पूर्वोक्त भंडारण और अनुबंध मैनुअल के अध्याय 37 का उल्लेख किया है और उसी के प्रासंगिक

भाग को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

सैंतीस. शक्तियों का प्रत्यायोजन

37.1 भारतीय खाद्य निगम, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 37 के अधीन, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निदेशक मंडल के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या निगम के सचिव या अन्य अधिकारी को ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियां और कार्य जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

37.2 अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधान के तहत, बोर्ड ने भंडारण संचालन और अनुबंध सहित विभिन्न मामलों के लिए विभिन्न स्तरों पर निगम के अधिकारियों को वित्तीय और संज्ञानात्मक शक्तियां प्रदान की थीं।

सैंतीस.तीन बोर्ड द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन की समय-समय पर समीक्षा की गई थी। भंडारण और अनुबंध मामलों से संबंधित प्रतिनिधिमंडलों को परिशिष्ट 37.3 में रखा गया है।

सैंतीस.चार शक्तियों का प्रत्यायोजन निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित मौजूदा नीतियों, प्रक्रियाओं, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के अध्यधीन होता है। जहां शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्याख्या का कोई संदेह या प्रश्न उठता है, कार्यकारी निदेशक (वित्त) के परामर्श से प्रबंध निदेशक आवश्यक स्पष्टीकरण व्याख्या जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

(बारह) एफसीआई के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एफसीआई मुख्यालय द्वारा पारित दिनांक 08.05.2020 का आदेश पहले ही लागू किया जा चुका है और 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 में याचिकाकर्ता की मूल्य बोली पहले ही 18.05.2020 को खोली जा चुकी है, और इसलिए, याचिकाकर्ता की शिकायत का उस हद तक निवारण किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली खोलने के बाद, इस न्यायालय द्वारा 22.05.2020 और 27.05.2020 को पारित यथास्थिति आदेश के मद्देनजर किसी को भी अनुबंध नहीं दिया जा सकता है। जवाब में आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता गौरव कुमार की वित्तीय बोली का मूल्यांकन करने के बाद, यह निर्णय लिया जाएगा कि वित्तीय व्यवहार्यता आदि पर विचार करते हुए मूल्य बोली के वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध प्रदान किया जाना है या नहीं, और इसलिए, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 में याचिकाकर्ता की मूल शिकायत का निवारण किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि आवंटित कार्य प्राप्त करने के अपने अधिकार के संबंध में याचिकाकर्ता की अन्य प्रार्थना किसी भी योग्यता से रहित है क्योंकि इस संबंध में याचिकाकर्ता को कोई निहित अधिकार नहीं दिया गया है और यह सब वित्तीय बोली के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

(तेरह) एफसीआई के विद्वान वकील ने शेष रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं के पास ऐसी शिकायत करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी याचिकाकर्ताओं ने 28.03.2020

की पहली निविदा जांच में भाग लिया था, जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था और याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी स्तर पर इसे चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि 23.04.2020 की दूसरी निविदा की तारीख को पहली निविदा के परिणाम के अधीन बढ़ा दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को दूसरी निविदा को जारी रखने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है क्योंकि यह केवल प्रारंभिक चरण में था और यहां तक कि तकनीकी मूल्यांकन भी नहीं किया गया है और इसलिए, इन चार रिट याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना की है।

(चौदह) हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टियों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है। एफसीआई ने एचटीसी ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए ई-निविदा जारी की। निविदा जांच दिनांक 28.03.2020 (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार, वर्तमान याचिकाओं की विषय वस्तु तीन केंद्रों अर्थात् अलेवा नेगुरा, पिल्लुखेड़ा और जुलाना से संबंधित है। सभी याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने निविदा जांच में भाग लिया। याचिकाकर्ता, अर्थात् गौरव कुमार ने 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 में तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया था, जबकि शेष चार रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं को इन केंद्रों में अयोग्य/अयोग्य घोषित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम दो वर्षों के लिए एचटीसी ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के माध्यम से दो बोली प्रणाली का अनुसरण करता है। पहली बोली तकनीकी मूल्यांकन के लिए है और इसलिए इसे तकनीकी बोली कहा जाता है/ प्रतिभागियों/बोलीदाताओं का तकनीकी रूप से मूल्यांकन करने के बाद तकनीकी रूप से योग्य घोषित किए गए व्यक्तियों पर आगे कार्रवाई की जाती है और उनकी वित्तीय/*मूल्य बोलियों को* खोला जाता है। तत्पश्चात्, वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है और वित्तीय व्यवहार्यता तथा अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद ठेका, यदि कोई हो, प्रदान किया जाता है। वर्तमान मामले में, एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनांक 28.03.2020 को ई-निविदाएं जारी कीं, जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं ने भाग लिया। 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 में याचिकाकर्ता गौरव कुमार को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया था, जबकि शेष चार याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित किया गया था। तत्पश्चात्, भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा द्वारा इस आधार पर निविदा रद्द कर दी गई थी कि बड़ी संख्या में भागीदारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और इससे प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी और इसलिए निविदा रद्द कर दी गई। इसके बाद, गौरव कुमार ने प्रतिवादियों को एक कानूनी नोटिस दिया और उसी पर कार्रवाई करते हुए, एफसीआई मुख्यालय ने पूरे मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन किया और 08.05.2020 को एक सचेत निर्णय पर पहुंचे कि स्क्रैपिंग के लिए ऐसा आधार उचित नहीं है और इसलिए, निर्देश दिया कि निविदा को रद्द कर दिया गया है और आगे के मूल्यांकन के लिए वित्तीय बोलियों को खोला जाए। दूसरी निविदा दिनांक 23.04.2020 की तिथि को भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

(पंद्रह) 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जो प्रार्थना की गई है, वह यह है कि एफसीआई द्वारा पारित दिनांक 08.05.2020 के पत्र को लागू किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को एल-1 होने के कारण निविदा आवंटित की जानी चाहिए। जहां तक याचिकाकर्ता की पहली प्रार्थना का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम ने अपने उत्तर में स्पष्ट रुख अपनाया है कि पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में, उन्होंने पहले ही याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली खोल दी है और वित्तीय बोली का मूल्यांकन करने के बाद आगे की कार्रवाई अपनाई जाएगी। इसलिए, दिनांक 08.05.2020 के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत को प्रतिवादियों द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। जहां तक याचिकाकर्ता को कार्य के आवंटन के लिए निर्देश देने के संबंध में याचिकाकर्ता की दूसरी प्रार्थना का संबंध है,

उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह स्थापित कानून है कि ठेका देने के लिए बोलीदाता को कोई अधिकार नहीं है चाहे बोलीदाता एल-1 बोलीदाता ही क्यों न हो। नियोक्ता को सभी अर्हता प्राप्त तकनीकी बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन करना है और वित्तीय व्यवहार्यता और अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ठेका दिया जाना है अथवा नहीं। इसलिए, एल-1 बोलीदाता होने से स्वत *ही* ठेका दिए जाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।

(सोलह) जहां तक शेष चार रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा उठाए गए प्राथमिक तर्क यह हैं कि एक बार निविदा रद्द कर दी गई है तो उच्च प्राधिकारी द्वारा इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है और यह कि पहले अनुबंध को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दूसरी निविदा पहले ही मंगाई जा चुकी है। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ किसी भी बर्फ को काटती नहीं हैं। उपरोक्त चार रिट याचिकाओं में सभी याचिकाकर्ताओं ने स्वयं 28.03.2020 की पहली निविदा जांच में भाग लिया था और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने किसी भी स्तर पर उक्त अयोग्यता को चुनौती नहीं दी थी। भारतीय खाद्य निगम ने स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया कि निविदा को रद्द करने के क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा द्वारा पारित आदेश पर भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुन विचार किया जा सकता है कि भारतीय खाद्य निगम एक इकाई और सांविधिक निकाय के रूप में संविदाकारी पक्ष है और उसने संविदागत मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। इसलिए, एक प्रतिनिधि प्राधिकारी हमेशा एक गलती को सुधार सकता है यदि कोई प्रतिनिधि द्वारा प्रतिबद्ध हो। हमारी सुविचारित राय में, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा निर्णय लेना किसी प्रकार की अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा बल्कि यह केवल भारतीय खाद्य निगम में निहित प्राधिकार का प्रयोग होगा। भंडारण नियमावली, जिसे ऊपर पुन प्रस्तुत किया गया है, के अवलोकन से पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम अपनी शक्तियां अन्य अधिकारियों को सौंपता है। ई-निविदा नोटिस की प्रारंभिक पंक्तियों के अवलोकन से भी पता चलता है कि निविदा महाप्रबंधक द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए और उसकी *ओर से आमंत्रित की गई है*, जिसका अर्थ है कि भारतीय खाद्य निगम ने एक सांविधिक निकाय के रूप में और स्वयं एक इकाई के रूप में महाप्रबंधक के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की हैं जो संविदा पर हस्ताक्षर करने और प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न अन्य प्रक्रियाएं करने के लिए सक्षम हैं। तत्पश्चात्, यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय को पंचकुला स्थित भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई किसी भी त्रुटि को सुधारने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

(सत्रह) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा उठाया गया अगला तर्क कि 28.03.2020 की पहली निविदा जांच एक संपन्न अनुबंध नहीं थी और इसलिए, याचिकाकर्ता गौरव कुमार को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यह सच है कि अनुबंध एक संपन्न अनुबंध नहीं था, लेकिन साथ ही, याचिकाकर्ता गौरव कुमार ने अनुबंध आवंटित करने के लिए कोई निहित अधिकार हासिल नहीं किया है। बोली केवल वित्तीय मूल्यांकन के चरण में है। निविदा जांच में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदाता कभी भी आबंटित ठेका प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं, भले ही वे वित्तीय मूल्यांकन किए जाने के बाद एल-1 ही क्यों न हों। यह हमेशा नियोक्ता को ही यह पता लगाना होता है कि वित्तीय व्यवहार्यता, बाजार की स्थितियों में उतार-चढ़ाव और इस संबंध में अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर किसी ठेकेदार को अनुबंध दिया जाना है या नहीं और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क कि 28.03.2020 की पूर्व निविदा जांच आगे

नहीं बढ़ सकती है क्योंकि एक संपन्न अनुबंध का कोई महत्व नहीं है।

(अठ्ठारह) जहां तक 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6895, 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15397 और 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1888 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकीलों द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है, वे याचिकाकर्ताओं को कोई समर्थन नहीं देते हैं और अलग-अलग हैं। 2018 के CWP No.6895 में, यह माना गया था कि एक व्यावसायिक निर्णय में न्यायालय द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह दुर्भावनापूर्ण न पाया जाए। 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15397 निविदा को खत्म करने के लिए रखी गई चुनौती से संबंधित है और इसलिए, वर्तमान मामले से अलग है क्योंकि वर्तमान मामला निविदा के स्क्रैपिंग के निरसन से संबंधित है। 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 18881 पहली निविदा को रद्द करने के बाद आमंत्रित नई निविदाओं को चुनौती देने से संबंधित है। इस न्यायालय ने माना कि एकमात्र बोलीदाता की स्थिति में इस स्क्रैप निविदाओं का निर्णय सक्षम प्राधिकारी का विवेक है।

(उन्नीस) न्यायिक समीक्षा में शक्तियों के प्रयोग में निविदा या संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप के संबंध में कानून अब *पुन: एकीकृत* नहीं है।जगदीश मंडल के मामले ***(सुप्रा)*** *में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने* निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> "प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमाना, तर्कहीनता, तर्कहीनता, पूर्वाग्रह और दुर्भावना को रोकना है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि चुनाव या निर्णय 'कानूनी' रूप से किया गया है या नहीं और यह जांचने के लिए नहीं कि चुनाव या निर्णय 'ध्वनि' है या नहीं। जब निविदाओं या ठेकों के आवंटन से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। निविदाओं का मूल्यांकन करना और ठेके देना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं। समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूरी पर रहते हैं। यदि संविदा प्रदान करने से संबंधित निर्णय सदाशयी है और लोकहित में है तो अदालतें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, तब भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी चाहे प्रक्रियात्मक विपथन या निर्धारण में त्रुटि या निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह हो।
>
> सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हितों की रक्षा के लिए या संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिकायत के साथ निविदाकर्ता या ठेकेदार हमेशा सिविल कोर्ट में नुकसान की मांग कर सकता है। काल्पनिक शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकर्ताओं द्वारा कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के पहाड़ बनाने और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी करने के प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप, या तो अंतरिम या अंतिम, वर्षों तक सार्वजनिक कार्यों को रोक सकते हैं, या हजारों और लाखों लोगों को राहत और सहायता में देरी कर सकते हैं और परियोजना लागत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निविदा या संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले एक अदालत को निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए:
>
> *i)* क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या किया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या

किसी का पक्ष लेने का इरादा है।

या क्या अपनाई गई प्रक्रिया या निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि अदालत कह सकती है: 'निर्णय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी यथोचित और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था।

२) क्या जनहित प्रभावित होता है।

यदि उत्तर नकारात्मक हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। निविदाकर्ता/ठेकेदार को काली सूची में डालने या दंडात्मक परिणाम लागू करने या राज्य की उदारता (साइटों/दुकानों का आवंटन, लाइसेंस प्रदान करने, डीलरशिप और फ्रेंचाइजी देने) के वितरण से जुड़े मामले अलग स्तर पर हैं क्योंकि उन्हें कार्रवाई में उच्च स्तर की निष्पक्षता की आवश्यकता हो सकती है।

मोंटेकार्लो लिमिटेड ***मामले (सुप्रा)*** *में* माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"18. टाटा सेल्युलर (सुप्रा) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद कुछ सिद्धांतों को समाप्त किया, अर्थात्, (ए) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है, (बी) अदालत अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठती है, लेकिन केवल उस तरीके की समीक्षा करती है जिसमें निर्णय लिया गया था, (सी) अदालत के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं दोषपूर्ण हो सकता है, और (डी) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए और जो एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में जोड़ों में निष्पक्ष खेल की अनुमति देता है। इसलिए, न्यायालय ने निर्धारित किया है कि निर्णय को न केवल तर्कसंगतता के वेडनेसबरी सिद्धांत (ऊपर बताए गए अन्य तथ्यों सहित) के आवेदन द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए, बल्कि मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए जो पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं है या दुर्भावना से प्रेरित नहीं है।

उन्नीस. जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य[4] न्यायालय ने माना है कि एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। निविदाओं का मूल्यांकन करना और ठेके देना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं। समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूरी पर रहते हैं। यदि संविदा प्रदान करने से संबंधित निर्णय सदाशयी है और लोकहित में है तो अदालतें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, तब भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी चाहे प्रक्रियात्मक विपथन या निर्धारण में त्रुटि या निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह हो।

बीस. मास्टर मरीन सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड में। मेटकाफ एंड हॉजकिंसन (पी) लिमिटेड और एएनआर [5], यह फैसला सुनाया गया है कि राज्य एक निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनी विधि चुन सकता है और यह वास्तविक कारणों के लिए किसी भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है, अगर निविदा शर्तें इस तरह की छूट की अनुमति देती हैं। आगे यह माना गया

है कि राज्य, उसके निगमों, उपकरणों और एजेंसियों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तो अदालत को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए और इसे केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल कानूनी बिंदु बनाने पर।

इक्कीस. बीएसएन जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य में। [6] एक दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख करने के बाद कुछ सिद्धांतों को समाप्त कर दिया है, जिनमें से एक यह भी शामिल है कि जहां कोई निर्णय विशुद्ध रूप से सार्वजनिक हित पर लिया गया है, अदालत को आमतौर पर न्यायिक संयम लागू करना चाहिए।

बाईस. मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड (सुप्रा) में न्यायालय ने पहले के निर्णयों का उल्लेख किया और कहा कि इससे पहले कि कोई न्यायालय निविदा या संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप करे, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं से यह प्रश्न उठना चाहिए कि क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या किसी के पक्ष में करने का इरादा है या क्या अपनाई गई प्रक्रिया या किया गया निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि न्यायिक विवेक का सामना नहीं किया जा सकता है। परीक्षण पर जोर दिया गया था, अर्थात्, क्या अनुबंध का पुरस्कार सार्वजनिक हित के खिलाफ है।

तेईस. हाल ही में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, एक दो-न्यायाधीश बेंच ने स्पष्ट रूप से परीक्षण को उजागर किया जो निम्नलिखित प्रभाव से है: -

"हम यह जोड़ सकते हैं कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता, निविदा दस्तावेजों को अधिकृत करने के बाद, इसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने और इसके दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। संवैधानिक न्यायालयों को निविदा दस्तावेजों की इस समझ और प्रशंसा को स्थगित करना चाहिए, जब तक कि समझ या प्रशंसा या निविदा शर्तों की शर्तों के आवेदन में दुर्भावना या विकृति न हो। यह संभव है कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों की व्याख्या कर सकता है जो संवैधानिक न्यायालयों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह अपने आप में दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है।

चौबीस. हम सम्मानपूर्वक कानून के उपरोक्त कथन से सहमत हैं। हमारे पास ऐसा करने के कारण हैं। वर्तमान परिदृश्य में, निविदाएं मंगाई जाती हैं और अत्यधिक जटिल तकनीकी विषयों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए कार्य की प्रकृति और इसके द्वारा पूरा किए जाने वाले उद्देश्य को समझने और सराहने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक क्षेत्र में यह सामान्य जानकारी है कि निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में तकनीकी बोलियों की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती है और कभी-कभी मालिक के संगठन से असंबद्ध लोगों से तीसरे पक्ष की सहायता ली जाती है। यह

निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। बोलीदाता की विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता और क्षमता का आकलन विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन के मामलों में, परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जांच और पता लगाया जा रहा है कि तकनीकी क्षमता और वित्तीय व्यवहार्यता में स्वच्छंदता है और वे व्यावहारिक और यथार्थवादी हैं। एक बहु-आयामी जटिल दृष्टिकोण है; प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी। जिन निविदाओं में सार्वजनिक उदारता को नीलामी के लिए रखा जाता है, वे एक अलग डिब्बे पर खड़े होते हैं। जिस निविदा से हमारा संबंध है, उसकी आवंटन की किसी योजना से तुलना नहीं की जा सकती। हमने जिस क्षेत्र का उल्लेख किया है, इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। लागू किए गए पैरामीटर अलग हैं। इसका उद्देश्य निष्पादन और समय अनुसूची के पालन में उच्च स्तर की पूर्णता प्राप्त करना है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि ये निविदाएं न्यायिक समीक्षा की जांच से बच जाएंगी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब किया जाएगा जब दृष्टिकोण मनमाना या दुर्भावनापूर्ण हो या अपनाई गई प्रक्रिया किसी के पक्ष में हो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जाना चाहिए कि उक्त विकृतियों को दूर रखा गया है। लेकिन जहां कोई निर्णय लिया जाता है जो स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज की भाषा के अनुरूप होता है या उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए निविदा जारी की जाती है, तो अदालत को संयम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अदालत द्वारा तकनीकी मूल्यांकन या तुलना अस्वीकार्य होगी। अन्य क्षेत्रों में अनुबंध से संबंधित एक साधारण उपकरण को स्कैन करने और समझने के लिए लागू होने वाले सिद्धांत को तकनीकी कार्यों और विशेष कौशल की आवश्यकता वाली परियोजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों की व्याख्या और सराहना करने से अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। मालिक को उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और जोड़ों में मुफ्त खेलने की अनुमति होनी चाहिए।

नगर निगम, उज्जैन (***सुप्रा)*** *के मामले में* माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

-

"45. निविदाओं का मूल्यांकन और अनुबंध प्रदान करना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक लेनदेन / यदि संविदा प्रदान करने से संबंधित निर्णय लोकहित में है तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविदा प्रदान करने में प्रक्रियात्मक विपथन या त्रुटि होने पर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जनहित की अनदेखी करके निजी हितों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असफल बोलीदाताओं द्वारा कृत्रिम शिकायत के साथ और कुछ तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामियों पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उद्देश्य को विफल करने के प्रयासों को न्यायालयों द्वारा दृढ़ता के साथ निपटाया जाना चाहिए। तर्कहीनता या मनमानापन न होने पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से बचना चाहिए। मौजूदा मामले में, हम कार्रवाई करते समय विशेषज्ञ निकाय की ओर से कोई अवैधता, मनमानापन, तर्कहीनता या तर्कहीनता नहीं पाते हैं। इसी प्रकार, हम निर्णय लेते समय निगम या तकनीकी विशेषळ्ा की ओर से कोई पक्षपात अथवा दुर्भावना नहीं पाते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक हित और सफल बोलीदाता के कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।

बी.एस.एन. जोशी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है: -

> पीठ ने कहा, 'यह सच हो सकता है कि ठेका सबसे कम निविदाकर्ता को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नियोक्ता ही उसके मामले में सर्वश्रेष्ठ फैसला करता है। वही आमतौर पर अपने अधिकार क्षेत्र में होने के कारण, ऐसे मामले में अदालत का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस प्रकृति के मामले में सीमित होने के कारण, न्यायालय को सामान्य रूप से न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए जब तक कि नियोक्ता की ओर से अवैधता या मनमानापन रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट न हो।

(बीस) 2019 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6473 में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख करते हुए निम्नानुसार देखा:

> "उपरोक्त चर्चा से जो कानूनी प्रस्ताव उभरता है, वह यह है कि एक निविदा दस्तावेज में शर्तों का निर्धारण नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है और जब तक निविदा शर्तें मनमानी या विकृत न हों, तब तक उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती है, सिवाय इसके कि जहां इसे दुर्भावनापूर्ण या संपार्श्विक कारणों से दिखाया गया हो। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि कार्य के लिए केवल एल 1 बोलीदाता का चयन किया जाना चाहिए। बोलीदाता द्वारा पूरा किया जाने वाला पात्रता मानदंड आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है और ऐसी स्थिति में इस कारण से न्यूनतम वित्तीय बोली को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है कि उक्त बोलीदाता के पास क्षमता या अनुभव नहीं हो सकता है या उसे गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाया जा सकता है।

(इक्कीस)जो कानूनी स्थिति उभरती है वह यह होगी कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा तर्कहीनता, मनमानेपन, तर्कहीनता, पूर्वाग्रह या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को रोकने के लिए है। अनुबंध आम तौर पर एक वाणिज्यिक लेनदेन होता है और इक्विटी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूरी पर रहते हैं। यदि किसी संविदा को प्रदान करने से संबंधित निर्णय वास्तविक है और जनहित में है तो न्यायालय सामान्यत उसमें हस्तक्षेप करने से स्वयं को रोकते हैं, भले ही निर्धारण में कोई प्रक्रियात्मक विपथन या त्रुटि हो या निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह हो। इसके अलावा, सार्वजनिक हित की कीमत पर किसी भी निजी हित की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की ऐसी शक्ति को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सार्वजनिक हित और निजी हित के बीच कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो जाहिर है कि सार्वजनिक हित प्रबल होगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ***जगदीश मंडल के मामले*** *(सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने* तीन प्रश्न तैयार किए, जिन्हें किसी कर्मचारी की कार्रवाई की वैधता का आकलन करने के लिए न्यायिक समीक्षा के अभ्यास के लिए निविदा या संविदात्मक मामले में हस्तक्षेप करने से पहले न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए: अर्थात: (i) *क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या किसी के पक्ष में इरादा है; या*

> *(२)* क्या अपनाई गई प्रक्रिया या किया गया निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि न्यायालय कह सकता है कि निर्णय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी यथोचित और कानून के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था; और

(3) क्या जनहित प्रभावित होता है।

(बाईस) वर्तमान मामले में हमारी सुविचारित राय में सभी तीन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया जा सकता है, जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7442, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7454, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7456 में की गई प्रार्थनाओं का संबंध है। हम एक गलती को सुधारकर रद्द की गई निविदा को पुनर्जीवित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाते हैं। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(तेईस) इसलिए, वर्तमान मामलों में परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, यह निम्नानुसार आयोजित किया जाता है: -

अ) 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7474 का निपटारा याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 08.05.2020 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रार्थना की सीमा तक निरर्थक हो गया है। यह निर्देश दिया जाता है कि 28.03.2020 की निविदा जांच को कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। एचटीसी अलेवा नेगुरा, पिल्लुखेड़ा और जुलाना के लिए एल-1 के रूप में याचिकाकर्ता के पक्ष में काम आवंटित करने के लिए निर्देश देने के संबंध में याचिकाकर्ता की शेष प्रार्थना खारिज की जाती है। (बी) 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7442, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7454, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7455, 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7456 को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

(ग) चूंकि मुख्य रिट याचिकाओं पर निर्णय लिया गया है, इसलिए सभी अंतरिम आदेश निरस्त किए गए हैं।

(चौबीस) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा